

(2008) 1 एस. सी. आर. 58

एम/एस. मैथानिया फैब्रिक्स

बनाम

आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर

(सी. ए. सं. 5398/2002)

4 जनवरी, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और डी. के. जैन, जे.जे.)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944/केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 - एसएस. 11 ए- उत्पाद शुल्क से छूट द्वारा अधिसूचना- बिना बिजली की सहायता के संसाधित सूती कपड़ों के लिए - दो मूल्यांकनकर्ताओं ने रसायन के मिश्रण के लिए, पानी उठाने और ब्लिचिंग टैंकों में और कियर्स में डालने में बिजली के उपयोग को स्वीकार किया, - सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करते हुए छूट से इनकार कर दिया गया और शुल्क लगाया गया- न्यायाधिकरण ने राजस्व के मामले को बरकरार रखा- एक करदाता के मामले में न्यायाधिकरण ने जुर्माना राशि को कम कर दिया गया- जुर्माना राशि को माना गया, छूट को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया गया- निर्धारिती द्वारा उनके द्वारा की गई प्रक्रिया के लिए बिजली का उपयोग किया गया था- सीमा की विस्तारित अवधि का

आह्वान उस निर्धारिती के संबंध में स्वीकार्य है जिसके मामले में न्यायाधिकरण ने जुर्माना राशि कम कर दी है- दूसरे मामले में सीमा अवधि का आह्वान द्वितीय कारण बताओ नोटिस की तिथि से केवल पांच वर्ष पीछे तक अनुमत है- अधिसूचना संख्या. 173/77 दिनांकित 18.6.1977, 130/82 - दिनांकित 20.4.1982, 28/94-सीई दिनांकित 1.3.1994, 8/96 - सीई दिनांकित 23.7.1996, 5/99 दिनांकित 1.3.1999 और 35/99 दिनांकित 4.8.1999- केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985- अध्याय 52।

सिविल अपील सं. 1856/2005 में, अपीलकर्ता- निर्धारिती सूती कपड़ों के प्रसंस्करण में लगे हुए थे। वे ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग की प्रक्रिया, कपड़ों को रंगना, छापना, धोने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। उन्होंने 'सूती कपड़ों के शुल्क से छूट का दावा किया। अधिसूचना सं. 28 / 94 - सीई दिनांकित 1.3.1994, 8/96-सीई दिनांकित 23.7.1996 और 5/99 दिनांकित 1.3.1999 द्वारा बिजली की सहायता के बिना संसाधित किये गये सूती कपड़ों के शुल्क से छूट का दावा किया। हालाँकि, उन्होंने कुछ सहायक क्षेत्रों के लिए जैसे कि रसायन के मिश्रण के लिए बिजली के उपयोग को स्वीकार किया है। बिजली के उपयोग को देखते हुए राजस्व ने छूट के लाभ से इन्कार कर दिया। धारा 11-ए के तहत सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करते हुए शुल्क लगाया गया था। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने राजस्व के मामले को बरकरार रखा।

अपीलकर्ता-निर्धारिती बिना बिजली की सहायता के सूती कपड़ों के ब्लीचिंग करने में लगे हुए थे। अधिसूचना सं. 173/77 दिनांकित 18.6.1977 जो कि संशोधित अधिसूचना संख्या 130/82- सीई दिनांकित 20.4.1982 के द्वारा वे छूट का लाभ उठा रहे थे। कारखाने परिसर को देखने के दौरान राजस्व ने पाया कि ब्लीचिंग की प्रक्रिया में, पानी उठाने के लिए, भूमिगत टंकी और ब्लीचिंग टंकी और कियर्स में पानी डालने के लिये बिजली का उपयोग किया जा रहा था। 1986 में 14.12.1980 से लेकर 15.12.1985 तक की अवधि के लिए छूट से इन्कार करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। अपील में कार्यवाही को इस आधार पर दरकिनार कर दिया गया था कि केन्द्रीय राजकोष और नमक अधिनियम, 1944 की केंद्रीय अधिनियम की संशोधित धारा 11 ए को ध्यान में रखते हुए बिना कानून के अधिकार के आदेश किया गया था। पहले नोटिस का उल्लेख किए बिना 1989 में नया कारण बताओ जारी किया गया था। राजस्व ने बिजली के उपयोग को देखते हुए छूट से इन्कार कर दिया और सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करते हुए शुल्क लगाया। निर्धारिती की याचिका थी कि प्रक्रिया में बिजली का उपयोग नहीं किया गया था। सीमा शुल्क और सोना नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती छूट का लाभ उठाने का हकदार नहीं था क्योंकि प्रक्रिया बिजली की सहायता से की जा रही थी। इसलिए वर्तमान अपील।

सिविल अपील सं. 1856/2005 को खारिज करते हुए और 2002 की

सिविल अपील सं. 5398 को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. अपील संख्या 1856/2005 बिना योग्यता के है। पानी और कास्टिक सोडा उठाने के लिये स्टिरर और विद्युत मोटर के संचालन में बिजली का उपयोग बिजली की सहायता से निर्माण के बराबर होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त के दिनांक 10.1.1999 के पत्र में जिस पर निर्धारिती द्वारा यह तर्क देने के लिए निर्भरता रखी गई है कि इसमें शामिल प्रक्रिया की प्रकृति के बारे में संदेह था, महत्वपूर्ण है। यह ज्ञात नहीं है कि किन परिस्थितियों में यह पत्र लिखा गया। धारा 11ए की प्रयोज्यता के बारे में निर्धारिती का रुख असमर्थनीय माना गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जुर्माना राशि उठाई गई अतिरिक्त मांग के बराबर थी लेकिन न्यायाधिकरण ने इसे घटाकर 25,00,000/- रुपये कर दिया है। (पैरा 7)
(63 डी, ई, एफ)

जे. के. कॉटन एसपीजी डब्ल्यूवीजी मिल्स कं. लिमिटेड बनाम बिक्री कर अधिकारी, कानपुर 1997 (91) ईएलटी 34 एस सी.; सीसीई., बनाम राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स 1991 (55) ईएलटी 444 एससी- संदर्भित।

2. सिविल अपील संख्या 5398/2002 में, निर्धारिती के पक्ष अनुसार बिजली का कोई उपयोग नहीं था, अस्थिर है। सीमा की अवधि पर आते हुए, जब दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तब पाँच साल

की अवधि को तारीख से पीछे गिना जाना चाहिए था। कारण बताओ नोटिस के जवाब में 1986 में जारी किये गये नोटिस का कोई संदर्भ नहीं था। आयुक्त, देयता और जुर्माने की राशि , कर मांग की राशि के बराबर होनी चाहिए, इस पर काम करेंगे। (63-जी, एच; 64 - ई)

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 5398/2002

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलिय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के ई/अपील सं. 1982/2001-डी. के अंतिम निर्णय और आदेश सं. 73/2002- डी दिनांकित 4.4.2002 नई दिल्ली ई/अपील सं. 1982/2001-डी

के साथ

सी. ए. सं. 1856/2005

सी. ए. संख्या 5398/2002 में अपीलकर्ता की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा।

सी. ए. सं. 1856/2005 में अपीलकर्ता की ओर से ए. आर. माधव राव, आलोक यादव, तरुण जैन और राजेश कुमार।

मथाई एम. पैकेडे, अजय शर्मा, शिशिर पिनाकी और बी. कृष्ण प्रसाद प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय द्वारा सुनाया गया -

और साफ करने से पहले ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, रंगाई, छपाई, धुलाई प्रक्रियाए करने का दावा किया।

अध्याय 52 से नोट 3 इस प्रकार है:

“शीर्ष संख्याएं 52.07, 52.08 और 52.09 में उत्पादों के निर्माण के संबंध में ब्लीचिंग, मर्कसिंग, रंगाई, छपाई, वॉअर प्रूफिंग, श्रिंक प्रूफिंग, ऑर्गेडी प्रक्रिया या कोई अन्य प्रक्रिया या इनमें से कोई एक या अधिक प्रक्रियाएं शामिल होगी।”

3. सिविल अपील सं. 1856/2005 में अपीलकर्ताओं द्वारा यह रूख अपनाया गया था कि वे कपड़ों के प्रसंस्करण में बिजली का उपयोग नहीं कर रहे थे और इसलिए, जो लाभ वे पहले ले रहे थे, वह उपलब्ध था। कपड़ों के पैक करने और साफ करने से पहले उन्होंने ब्लीचिंग, मर्सर, रंगाई की गतिविधियों को करते समय बिजली का उपयोग नहीं किया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अधिसूचना सं. 5/99 जो कि अधिसूचना सं. 35/99-सीई दिनांकित 28.8.99 द्वारा संशोधित किया गया था और यह पूर्वव्यापी रूप से लागू था और अधिसूचना संख्या 5/99 के क्रम सं. 102 के नीचे स्पष्टीकरण को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया:

“स्पष्टीकरण- इस छूट के प्रयोजनों के लिए, बिजली की सहायता से निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक के अधीन सूती कपड़ों को बिजली या भाप की सहायता के बिना संसाधित माना जायेगा अर्थात्

(क) एसीड, क्लोरीन जैसे रसायनो को ओवरहेड टैंको में उठाना या भूमिगत टैंको में खाली करना, कास्टिक सोडा।”

4. इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि लागू प्रावधानों के बारे में संदेह था और इसलिए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए (संक्षेप में 'अधिनियम') लागू नहीं थी।

5. दूसरी ओर राजस्व का रुख यह था कि अधिसूचना में संशोधन पूर्वव्यापी नहीं था और वास्तव में इसने स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित कर दिया। 4 अगस्त, 1999 की अधिसूचना सं. 35/99-सीई द्वारा स्पष्टीकरण का संदर्भ भी दिया गया था। जो इस प्रकार है:

“स्पष्टीकरण-इस छूट के प्रयोजन के लिए, बिजली की सहायता से निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से गुजरने वाले सूती कपड़ो को बिजली के बिना संसाधित माना जाएगा। पानी उठाने के लिये रसायन और कपड़ा को सुखाने के लिये सूती कपड़ो के प्रसंस्करण में बिजली का उपयोग नहीं किया जाता।”

6. सीईएसटीएटी ने माना कि दिनांक 4.8.99 की अधिसूचना में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह सुझाव दे कि किये गये संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना था। यह माना गया कि तथ्यात्मक रूप से निर्णायक प्राधिकारी ने पाया था कि बिजली का उपयोग किया गया था।

7. अपीलकर्ताओं ने यह रुख अपनाया कि की गई प्रक्रियाएँ विनिर्माण के

बराबर थी लेकिन इसकी समझी गई परिभाषा के लिये जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ताओं द्वारा की गयी प्रक्रियाओं का निर्माण नहीं होगा। उपरोक्त प्रक्रियाओं के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा कोई भी बिजली का उपयोग नहीं किया गया। अपीलकर्ताओं ने बिजली की सहायता के बिना संसाधित सूती कपड़ों को दी गई छूट के लाभ का दावा किया। अपीलकर्ताओं ने यह रूख अपनाया कि चूंकि उन्होंने उपरोक्त प्रक्रियाओं के संबंध में बिजली का उपयोग नहीं किया था, इसलिये लाभ उपलब्ध था। उन्होंने कहा कि बिजली का उपयोग केवल कुछ सहायक और प्रासंगिक क्षेत्रों जैसे रसायनों के मिश्रण आदि में किया गया था और इसलिये लाभ देने से इन्कार नहीं किया जा सकता था। विभाग ने इस आधार पर लाभ देने से इन्कार कर दिया कि बिजली का उपयोग किया गया था और न्यायाधिकरण ने यह राय दी थी। किसी भी स्थिति में जब यह प्रस्तुत किया जाए कि कानून में स्थिति स्पष्ट नहीं थी और अधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी करना पड़े, तो अधिनियम की धारा 11ए को लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत विनिर्माण की परिभाषा का उल्लेख करते हुए जे. के. कॉटन एसपीजी डब्ल्यूवीजीमिल्स कं. लिमिटेड बनाम बिक्री कर अधिकारी, कानपुर (1997 (91) ईएलटी 34 एससी) और सीसीई, बनाम राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स (1991 (55) ईएलटी 444 एससी) ने माना कि स्टिरर के संचालन में बिजली का उपयोग पानी और कास्टिक सोडा उठाने के लिए विद्युत मोटर बिजली की सहायता से निर्माण के बराबर होगा। राजस्थान स्टेट केमिकल्स

वर्क्स (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए धारा 11ए की प्रयोज्यता के बारे में रुख को असमर्थनीय माना गया था। यह माना गया कि इसमें शामिल अवधि निर्णय के बाद की थी। इस तर्क के लिये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त के दिनांक 10.1.1999 के पत्र पर गहरा भरोसा किया गया है कि इसमें शामिल प्रक्रिया की प्रकृति के बारे में संदेह था। कहा गया पत्र महत्वपूर्ण है। इस न्यायालय के फैसले से यह पता नहीं चल पाया कि पत्र किन परिस्थितियों में लिखा गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि जुर्माना राशि अतिरिक्त मांग राशि के बराबर थी लेकिन न्यायाधिकरण ने इसे घटाकर 25,00,000/- रुपये कर दिया। इसलिये , 2005 की अपील सं. 1856 स्पष्ट रूप से निराधार है और हम इसे खारिज करते हैं।

8. जहाँ तक सिविल अपील सं. 5398/2002 का संबंध है, इसमें शामिल अवधि 14.12.1980 से 15.12.1985 है जब 9.12.1986 को पहला नोटिस जारी किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कारण बताओ नोटिस के उत्तर में इस पहलू का कोई संदर्भ नहीं था। जहां तक योग्यता का संबंध है, दलील यह है कि बिजली का कोई उपयोग नहीं किया गया है, यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि आदेश के पैराग्राफ 9 में, सीईजीएटी ने इस प्रकार अवलोकन किया:

“यदि नमक के बर्तनों में नमकीन पानी पंप करना और बिजली की सहायता से कोक और चूना पत्थर को प्लेटफॉर्म तक उठाना विनिर्माण की

सतत प्रक्रिया का हिस्सा माना जा सकता है। जब बिजली का उपयोग पानी उठाने और ब्लीचिंग बर्तन में डालने के समान है तो इसे अन्याय रोकने का कोई कारण नहीं है। यह निर्धारिती का मामला नहीं है कि कीयरिंग और ब्लीचिंग प्रक्रिया के लिये पानी एक आवश्यक घटक नहीं है। कियर और ब्लीचिंग बर्तन में पानी डालना पूरी प्रक्रिया से अभिन्न रूप से जुड़े हुए चरण है। इसलिये हम मानते हैं कि अपीलकर्ता अधिसूचना सं. 173/77 दिनांकित 18.6.77 के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं है। जैसा कि अधिसूचना सं. 130/82 सीई दिनांकित 24.4.82 द्वारा संशोधित है क्योंकि प्रक्रिया का हिस्सा किया जा रहा था शक्ति के प्रयोग से।”

9. इसलिए, वास्तव में यह रुख कि बिजली का कोई उपयोग नहीं किया गया, अस्थिर है। सीमा अवधि की बात पर आते हुए पाँच साल की अवधि को 8.2.1989 से पीछे गिना जाना चाहिए जब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आयुक्त दायित्व की गणना करेगा और जुर्माने की राशि कर मांग की राशि के बराबर होनी चाहिये।

10. बिना कोस्ट राशि पर उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

सिविल अपील सं. 1856/2005 खारिज

सी. ए. सं. 5398/2002 आंशिक रूप से स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अमरसिंह खारडिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।